


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-7(छात्रसंघ)/अकाद/आकाशि/2019/454

दिनांक :-// दिसम्बर 2019

आदेश

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं छात्रों के आग्रह पर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2019 में आंशिक संशोधन करते हुये, निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालयों में छात्रसंघ का उद्घाटन कार्यक्रम करने की अवधि दिनांक 15 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक तुरन्त प्रभाव से बढ़ाई जाती है ।



(डॉ० दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ-7(छात्रसंघ)/अकाद/आकाशि/2019/454

दिनांक :-// दिसम्बर 2019

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
8. प्रभारी अधिकारी, नवाचार/विधानसभा, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड कराने हेतु प्रेषित है ।


(डॉ० दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।